



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/2656357 Fax 021-2612086

फ्रॅमांक: F37(2) / नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/ का.वि./2018/ ५१६।


दिनांक:- ०८.०५.२०१८

-कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 03/2018 वी बैठक दिनांक 02.05.2018 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अध्यक्ष नहोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरित्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	मास्टर प्लान 2023 के परिधि नियंत्रण पट्टी के संबंध में।	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में माननीय मत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 12.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 25.07.2017 को कार्यवाही विवरण जारी किये गये(प्रति संलग्न)। उपरोक्त निर्णय के एजेण्डे संख्या 01 के बिन्दु संख्या (पप) में निम्नानुसार उल्लेख है :- “वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्र में प्रारूप मास्टर प्लान के प्रत्यावानानुसार कार्यवाही की जावे बशर्ते प्रारूप मास्टर प्लान में भू-उपयोग पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो।” <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त प्रावधान की उपरोक्तानुसार आगामी बैठक से लागू करने का निर्णय लिया गया।</p>
2.	02	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 825 के रक्कड़ा 11.06.00 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री रामपाल पुत्र श्री नारायणलाल नट (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन की चैक लिस्ट अनुसार ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 824 की योजना से आवेदित भूमि को 40 फीट एप्रोच प्राप्त हो रही है। आवेदित भूमि एच.टी लाईन से प्रभावित है। प्रकरण में प्राधिकरण की विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अन्तर्गत प्रस्तावित बाईप्सस व बाईपास के सहारे-सहारे दर्शाये गये अन्य सामुदायिक सुविधा तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार बाईपास के मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। आवेदित भूमि के समीप ही कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान खसरा संख्या 824 में दर्शायी गयी सड़कों का मिलान किया जाना अपेक्षित है। आवेदित भूमि से गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व क्षमता अनुसार नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि से से एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता तथा आवेदक भूमि की सीमा से एच.टी लाईन की दूरी/स्थिति बाबत् कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी। आवेदित भूमि से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 200 फीट बाईपास सट्टा गुजरती है उक्त बाईपास सड़क के सहारे-सहारे दर्शित ओ.सी.एफ का ले-आउट प्लान में अकंन किया जाना होगा। आवेदित भूमि का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने से ईडब्ल्युएस/एलआईजी भूखण्डों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

			<p>परिपत्रों अनुसार नियमानुसार शुल्क जगा किया जाना होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जांच ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारे किया जावे।
3.	03	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 216/1 वर्गैरह भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक - श्री अमर आदेश्वर इन्फा (जोन पूर्व)	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>प्ररकरण को पूर्व में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 209/2मीन 215/1, 215/2 237/1 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा का ले-आऊट प्लान मुख्यमंत्री जन आयास योजना 2015 के तहत गठित प्राजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 को पूर्व में अनुमोदित किया गया।</p> <p>अब प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या-216/1 रकबा-16 बीघा भूमि को नभिलित करते हुये एंजाई आवासीय एकल पट्टा जारी किये जाने का नियेदन किया गया।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया हुआ था जो दिनांक 01.05.2018 को प्रार्थी द्वारा विङ्रोत कर लिया गया है। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जांच ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।
4.	04	राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 66/2 के रकबा कुल रकबा 21-04 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक - श्री गजुसिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह, श्री कमलसिंह पुत्र स्व. श्री चैनसिंह (जोन पश्चिम)	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग नुख्य चौपासनी रोड से उपलब्ध होता है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान, 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञाय है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग नुख्य चौपासनी रोड से उपलब्ध होता है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना होगा जिसकी सुनिश्चित उपायुक्त रूपर पर की जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जांच ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता



			<p>नहीं रहे।</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5.	05	<p>राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 30/7 के रकबा 3 बीघा 9 बिस्ता 0 बिस्तासी भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।</p> <p>आवेदक :— श्री सुखाराम (जोन परिचय)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण को पूर्व मे ले—आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2017 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। तत्समय आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से बाहर होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्ररक्षण मे तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि को पहुँच भर्ता तिंवरी स्टेशन से घेवडा जाने वाली सड़क से प्राप्त हो रहा है। जिसका मार्गाधिकार जोन कि चैक लिस्ट अनुसार 60 फीट है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार पत्रावली के पैरा—10 अनुसार 100 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। आवेदित भूमि का भू—उपयोग मास्टर डिपलपमेंट प्लान—2023 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र मे 40 फीट व उससे अधिक की चौडाई पर अनुच्छेय है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रकरण मे जोन की नवीन चैकलिस्ट व नवीन मौका प्राप्त कर तथा आयोजना शाखा की पत्रावली मे पैरा संख्या 27 व 33/एन पर आयुक्त महो द्वारा की गयी टिप्पणी के कम मे जोन स्तर से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक मे रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	06	<p>राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 69/8, 69/9 के रकबा 03.10.04 बीघा भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।</p> <p>आवेदक :— श्रीमती संगीता पत्नी श्री भागचन्द (जोन उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार कृषि आधारित एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। प्रस्तुत ले—आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि मण्डलनाथ—कडवड जाने वाली 100 फीट सड़क पर स्थित है। जिसे 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सड़क राजस्व नवशे मे अकित नहीं है। मौके पर आवेदित भूमि पर चार दिवारी निर्मित है एव सड़क निर्माण कार्य हो चुका है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निर्मांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण मे आवेदित भूमि के सामने रित्ते 100फीट चौड़ी सड़क को पूर्व मे अनुमोदित ले—आउट प्लान अनुसार सड़क को 200 फीट (सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट) चौड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसकी सुनिरिचतता उपायुक्त द्वारा की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैवटेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैवटेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले—आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने के कार्यवाही की जावे ताकि ले—आउट प्लान व मौका स्थिति मे भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगे एव उक्त अनुमोदन कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड का किया गया ऐ भविष्य मे उपविभाजन नहीं किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य मे उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु सबधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक

			(पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्री न की जावे।
7.	07	<p>राजस्व ग्राम दैश्वर के खसरा संख्या 69, 69/7 के रक्का 05.03.07 बीघा भूमि का कृषि आधारित (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक - श्रीमती पायल पत्नी राजेन्द्र सामरिया (जोन उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार कृषि आधारित एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। प्रस्तुत ले—आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि मण्डलनाथ—कडवड जाने वाली 100 फीट सड़क पर स्थित है। जिसे 200 फीट छोड़ा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सड़क राजस्व नक्शा में अंकित नहीं है। मौके पर आवेदित भूमि पर चार दिवारी निर्मित है एवं सड़क निर्माण कार्य हो चुका है। प्रस्तुत ले—आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण एवं गौका निरीक्षण आयोजना राखा के स्तर पर किया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुरूप समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। <p>समिति द्वारा ऐजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में आवेदित भूमि के सामने स्थित 100फीट छोड़ी सड़क को पूर्व में अनुमोदित ले—आउट प्लान अनुसार सड़क को 200 फीट (सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट) छोड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई दिवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले—आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले—आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन वृंदि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवासि, एवं मालिकाना हक की समरत जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंयं की होगी। अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्री न की जावे।
8.	08	<p>राजस्व ग्राम मोगड़ा कल्ला के खसरा संख्या 481 के रक्का 01.19 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक - श्री हप्पाराम व दुर्गाराम (जोन दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में बी.पी.सी (एल.पी.) कि बैठक दिनांक 07.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 3 पर रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :- <p>“समिति द्वारा आवेदित भूमि के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में स्थित कटाण मार्ग के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा का अकन कर व आवेदित भूमि के संबंध में जोन द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।”</p> <p>उपरोक्त निर्णय के मान में जोन से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो आयोजना शाखा की पत्रावली के बिन्दु संख्या 22 व 24 पर अंकित है।</p> <p>समिति द्वारा ऐजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया —</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में आवेदित भूमि के उत्तर दिशा के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ा जावे तथा पूर्व एवं पश्चिम दिशा को लगने वाले मार्ग के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई

			<p>विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय से कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. अनुमोदित किये जा रहे हैं ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 6. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु 'संबंधित' जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानीरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
9.	09	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/12, 77/13 के रकवा 07.13.10 बीघा भूमि का एगो वेयर हाउस (कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत्।</p> <p>आवेदक :— आर.जी.पी.जी रियल एस्टेट जरिये श्री घनश्याम अग्रवाल (जोन दक्षिण)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित प्रकरण में राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 77, रकवा 74.13 बीघा का छोटे-छोटे टुकड़ों में बैचान होकर मौके पर प्लॉटिंग है। उक्त खातेदारी भूमि में से 80 फीट का रास्ता मौके पर है। 2. आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेंडा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को नियमानुसार प्राहृत मार्ग की ओराई 80 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोड़ा जावे। उक्त 80 फीट सड़क को नियोजन की दृष्टी से निरन्तर रखा जावे एवं सड़क भाग में आने वाली भूमि को निशुल्क समर्पित किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिषत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत सौपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे हैं ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त अनुमोदन एगो वेयर हाउस प्रयोजन एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानीरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्ड की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।
10.	10	<p>राजस्व ग्राम पाल घिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 550 के रकवा 01.01.16 बीघा भूमि का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आऊट</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर बाईपास इसी खसरे से निकलने पर शेष भूमि व बट्टा नं. एवं रकवा नहीं होने से नक्शा सुपर इम्पोज नहीं हो सका एवं हरित पट्टी छोड़ने के बाद शेष भूमि कम ही बचती है इसका

31/11/2018

3

Q
A
H
E

		<p>प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरशम (जोन-दक्षिण)</p>	<p>आंकलन किया जाना है। जोके पर इसी खसरे में दुकानें एवं टॉवर बना हैं एवं एल.टी. लाईन गुजर रही है। दुकाने चालू हालात में हैं एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ व टॉवर संचालित हैं। प्रकरण ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार विमशं पश्चात प्रकरण में विस्तृत जाँच उपरान्त आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p>
--	--	---	---

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेश सिंह राठोड़)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री दुर्गेश कुमार बिस्ता
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

अरुण पुरोहित
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री सुखराम
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री अवैष्णव
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्रीमती चंचल शर्मा
उपायुक्त (परिचय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री अनिल पुनिया
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री राकेश शर्मा
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री.आर. वेनिवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट-“१”

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 03/2018 वी बैठक दिनांक 02.05.2018 को प्रातः 9:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री महेन्द्र सिंह राठोड, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्री दुर्गेश विस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. श्रीमती चंचल वर्मा उपायुक्त (परिचम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
7. श्री अनिल पुनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
8. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
9. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।

अध्यक्ष

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

08/05

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :- ५१६१ - ५१७०

दिनांक:- ०८. ०५. २०१८

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं अङ्गवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व / परिचम / उत्तर / दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बैवसाईट पर अपलोड करें।

08/05

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (एलपी)

